संख्याः आई/1026811/2025/35-2-2025

प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई , 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से ''जनपद की डी0डी0पी0 (District Domestic Product) के बेहतर ऑकलन हेतु सर्वेक्षण'' योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त् विषयक अपने पत्र संख्या-275/ले0-57/2024 (SND) दिनांक 02.5.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल रू0 25,00,00,000/- (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की मद में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही GEM Portal के माध्यम से सेवा प्रदात्ता Agency को भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-112-आर्थिक सलाह तथा सॉख्यिकी-03-आर्थिक सलाह एवं सॉख्यिकी हेतु नयी मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु0 25,00,00,000.00 (रु० पच्चीस करोड़ मात्र) की सुसंगत इकाइयों के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने एवं GEM Portal के माध्यम से सेवा प्रदात्ता Agency को भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

कोड संख्या व मद का नाम	धनराशि लाख रूपये में
04-यात्रा व्यय	95.67
11-लेखन सामग्री एवं फार्मा की छपाई	8.55
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.90
42-अन्य व्यय	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	56.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	206.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2126.88
कुल योग	**2500.00**

(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)

(1) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृति धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उत्तर प्रदेश भंडार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/आई0टी इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों प्रोक्योरमेंट मैनुअल प्रोक्योरमेंट आफॅ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-40 के सुसंगत "3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-112-आर्थिक सलाह तथा सॉख्यिकी-03-आर्थिक सलाह एवं सॉख्यिकी के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित विभाग के अर्द्धशा0 पत्र सं0 E-5-39-X-2025-26 दिनांक 17.07.2025 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- आई/1026811/2025(1)/35-1-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण वितरण अधिकारी, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0।
5. वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, 30प्र0 शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।